न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि -1526-PBR-16

प्र.कं.   / 2016 पुनरीक्षण

बाबू खां पिता श्री खाजू जी जाति पिंजारा उम्र लगभग 65 वर्ष व्यवसाय रिटायर्ड व कृषि निवासी मल्हारगढ जिला मन्दसौर
.... आवेदक

विरूद्ध

1. सहायक जिला लोक अभियोजक नारायणगढ तहसील मल्हारगढ
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर मन्दसौर

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय कलेक्टर महोदय मन्दसौर द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–20(1)/15–16) में पारित आदेश दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय, महोदय,

आवेदक अपना यह पुनरीक्षण प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निवेदन करते हुए आवेदक अपना यह पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न मुख्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि, इस प्रकरण की विषयवस्तु ग्राम पहेडा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 440 रकवा 0.370 आरी पैकी 50X30 मीटर भूमि है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक बाबू खां का आवेदक के पिता के जमाने से ग्राम पहेड़ा तहसील मल्हारगढ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 440 रकबा 0.370 आरी व सर्वे नम्बर 441 रकबा 0.500 आरी कुल 0.870 आरी भूम पर सन 1951से कब्जा चला आ रहा है। यह कब्जा शासकीय कर्मचारियों की जानकारी में उन्हें बेदखल कर जबरन किया गया था, व इस प्रकार इस भूमि

CANCELED

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1526-पीबीआर/16 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	